

## वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज

### ॥ निविदा आमंत्रण सूचना ॥

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)

निविदा संख्या—BRPNN/GPJ/262

दिनांक—18.04.2018

राज्य स्कीम अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास की चहारदिवारी निर्माण योजनान्तर्गत बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 संशोधित एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 ख के अन्तर्गत 15 लाख से 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी -4 में गोपालगंज जिला के लिए निबंधित संवेदकों से क्रमांक-1 पर वर्णित चहारदिवारी निर्माण कार्य हेतु एकल बीड प्रणाली के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नहीं है, तब एकरारनामा के पूर्व इन्हें निगम में निबंधित कराना अनिवार्य होगा।

क्र०	जिला	कार्य का विवरण	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में) (अप्रत्यपर्णीय)	अग्रधन की राशि (रु० में)	Bid Processing Fee (Online Payment) (रु० में) (अप्रत्यपर्णीय)	कार्य की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोपालगंज	गोपालगंज जिलान्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास की चहारदिवारी निर्माण	17.16	5000.00	34,400.00	1180.00	4 माह

- बीड पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय : दिनांक— 14.05.2018 से 21.05.2018. को अपराहन 3.00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।
- बीड समर्पित की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक— 22.05.2018 को अपराहन 3.00 बजे तक वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।
- बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक— 23.05.2018 को अपराहन 3.30 बजे वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।
- निविदा की वैध अवधि : बीड समर्पित की अंतिम तिथि से 120 दिन तक।
- क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हें वेबसाइट ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) से डाउनलोड करने/ ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।
- ई-निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) से प्राप्त किया जा सकता है।

9. संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बीड समर्पित करने के उपरांत दिनांक 23.05.2018 के अपराह्न 3:00 बजे तक वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज/उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना में परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि को मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।
10. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाईट <http://www.brpnn.bih.nic.in> एवं [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर प्रकाशित किया जायेगा।
11. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताए निविदा की तिथि विस्तार, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, बैंक ऑफ इण्डिया विल्डिंग, प्रथम तल्ला, एम०/22, श्री कृष्णानगर, रोड नं० - 25, पटना (दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो०नं०-7542028164) से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://www.brpnn.bih.nic.in/> [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है। सम्पर्क पदाधिकारी का नाम - श्री अरविन्द कुमार, वरीय परियोजना अभियंता एवं मोबाईल नं०-8544402460

ज्ञापांक :-262 (अनु०)

प्रतिलिपि :- वेबसाईट प्रभारी/नोडल पदाधिकारी, E-Proc. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को निगम के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ/दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

OH-8  
18.04.18

**वरीय परियोजना अभियंता**  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड  
विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज।  
दिनांक :-18.04.2018

ज्ञापांक :-262 (अनु०)

प्रतिलिपि :- उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०- यथोक्त।

OH-8  
18.04.18

**वरीय परियोजना अभियंता**  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड  
विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज।  
दिनांक :-18.04.2018

ज्ञापांक :-262 (अनु०)

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०- यथोक्त।

OH-8  
18.04.18

**वरीय परियोजना अभियंता**  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड  
विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज।  
दिनांक :-18.04.2018


OH-8  
18.04.18

**वरीय परियोजना अभियंता**  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड  
विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज।  
दिनांक :-18.04.2018

## नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा/दर प्रस्ताव के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य, बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं अग्रधन की राशि को निम्न रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
  - (i). कॉलम - 5 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदनाम से निर्गत हो तथा गोपालगंज में भुगतये हो।
  - (ii). कॉलम - 6 में अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/डाकघर का एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।
  - (iii). कॉलम - 7 में अंकित राशि को बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन0 इ0 एफ0 टी0/आर0 टी0 जी0 एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
    - a. **"Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."**
    - b. **"Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."**
2. संवेदक को बीड में निम्न अर्हता अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई भी कागजात/प्रमाण-पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नहीं होगा।
3. (i) 15 लाख से 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में गोपालगंज जिला के लिए संबंधित पथ प्रमण्डल से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
  - (ii). आयकर PAN/TAN एवं वाणिज्य कर/G.S.T में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
  - (iii). संवेदक को किसी सरकारी संस्थान/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा (क)Debar (ख)Blacklisted एवं (ग) विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर Rescind न होने की सूचना का शपथ पत्र।
  - (iv). संवेदक को उनके जिम्मे, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यों के एकरारनामा की राशि, बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यों की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यों की राशि की स्पष्ट विवरणी, कार्यवार तैयार कर अलग से तालिका रूप में, शपथ-पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य है। यदि उनके जिम्मे कोई कार्य नहीं भी है तो भी शपथ-पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।
  - (v) उपरोक्त बिन्दु (iv) से संबंधित शपथ-पत्र का प्रारूप बेवसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच के अवधि का होना अनिवार्य है।

- 4.(i). निविदित दर, प्रभावी अनुसूचित दर से कम, बराबर या अधिक, प्रतिशत में अंकित करते हुए अपलोड(UPLOAD) करना होगा। दर प्रतिशत को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अंकित करना होगा।
- (ii). निविदित दर, प्रभावी अनुसूचित दर से कम दिये जाने की स्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3376(E), दिनांक-17.08.10 के कंडिका 4 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।
- (iii). सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2046 (S), दिनांक-06.03.2014 के अनुसार प्रतिशत दर पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएं अमान्य मानी जायेगी।
- (iv). निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण संहिता के प्रपत्र एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- 5.(i). संवेदक को यंत्र-संयंत्र के अंतर्गत निडिल भाइब्रेटर, मिक्चर मशीन एवं वाटर टैंकर तथा सटरिंग के लिए सटरिंग प्लेट के स्वामित्व का साक्ष्य या भाड़े पर लिए जाने हेतु शपथ पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (ii). बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर समस्त वांछित सूचनाओं यथा अग्रधन, कार्य संबंधी अर्हता, कार्य अनुभव, निबंधन आदि को पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) होना चाहिए।
6. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें एवं कार्य स्थल की स्थिति तथा अन्य स्थितियों को पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित अन्य कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
7. दस्तावेज की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी, द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
8. निगम द्वारा अनुमोदित ब्रांड का स्टील अवयव एवं ग्रेड सीमेंट का व्यवहार करना संवेदक द्वारा अनिवार्य होगा।
9. ओभर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण-सह-स्थल-कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा।
10. अनुमानित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
11. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
12. सशर्त बीड स्वीकार्य नहीं होगा। निगम के नियमावली अंतर्गत कार्य सम्पन्न होगा।
13. निविदादाता द्वारा फर्जी / गलत अनुभव प्रमाण - पत्र या निविदा से संबंधित अन्य गलत कागजात प्रस्तुत करने या देने पर, जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बीड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

  
 वरीय परियोजना अभियंता  
 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड  
 विशेष कार्य प्रमंडल, गोपालगंज।  
 18/04/2018